न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 305/2024 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1. बस्का खान पुत्र मुरीद खान 2. सुमार खां पुत्र मुरीद खां जाति मुसलमान, निवासी भंवार, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 01. खानमोहमद पुत्र सादक 2. जुमाखान पुत्र सादक
03. सरीफ पुत्र सादक जाति मुसलमान, निवासी भंवार, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
04. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।
05. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक, सेड़वा

वकील प्रार्थीगण :– श्री दोष मोहम्मद
वकील विप्रार्थीगण :– मांगीलाल जयपाल

निर्णय

दिनांक 26\11\2024

प्रार्थीगण बस्का खान पुत्र मुरीदखान जाति मुसलमान निवासी भंवार तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एक काश्तकार है एवं प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत खसरा संख्या 252 रकबा 10.5866 हैक्टर किस्म बा0सो0 मौजा भंवार पटवार हल्का भंवार भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा में आया हुआ हैं जिस पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त हैं तथा अपने रहवास हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियो के बाड़े आदि बने हुए हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने काश्तकारी खेत में से गैं.मु. श्मशान के लिए भूमि समर्पण का वर्तमान में भी श्मशान बना हुआ हैं, वास्ते श्मशान समर्पण खसरा संख्या 253 रकबा 1.1007 हैक्टर किस्म गैं.मु. श्मशान वर्तमान नकल जमाबन्दी पेश है। प्रार्थीगण की जोत, ढाणी पर आने–जाने व श्मशान के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 254 रकबा 11.3069 हैक्टर किस्म बा0दो0 में जो कटाण रास्ते से सबसे नजदीक है प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है प्रार्थीगण की जोत [illegible] रास्ता है, इस रास्ते से प्रार्थीगण के अलावा कई अन्य परिवार भी जुड़े हुए हैं। श[illegible]न [illegible] आने–जाने का एकमात्र रास्ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:39:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...ा उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से करता आ रहा है तथा श्मशान से जुड़े हुए सभी परिवार के ...ए आवागमन का एकमात्र रास्ता हैं। काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खेत खसरा संख्या 252 के चारो और के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत व श्मशान मे जाने से बाधित हो जाते हैं जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत व श्मशान में जाने में बाधा होती है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता हैं, झगड़ा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती हैं। तथा प्रार्थीगण के काश्तकारी खेत में श्मशान के लिए भूमि समर्पण कर रखी हैं जिसमें वर्तमान में श्मशान बना हुआ है। जिसमें करीबन 100 परिवार के घर जुड़े हुए है। जिसके लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण व अन्य परिवारो को श्मशान आने के लिए कई समस्यों का सामना करना पड़ता है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के समन्न तामिल शुदा प्राप्त हुए जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता मांगीलाल जयपाल ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संवंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संवंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सेड़वा ने मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संवंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण उपस्थित मिले। मौके पर वादीगणों व गांव मुखिया मौतबरानों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआवना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकवा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकवा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खान मोहमद, जुमा खान, सरीफ पिता सादक कौम मुसलमान, सा0देह खातेदार रहन– खान मोहम्मद सरीफ का हिस्सा एसबीआई शाखा सेड़वा	254	11.3069 है.	20	0.2000 है.	भंवार	64950/–	बा.दो.

वादीगण के ग्राम भंवार के खसरा संख्या 254 रकबा 11.3069 हैक्टर में सलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बरंग लाल दर्शाया गया है उक्त रा... ...किसी प्रकार का मकान कीमती पेड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:39:59 IST
Reason: SelfAttested

...क कलक्टर
(SDO) सेड़वा

प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली है ग्राम भंवार के खसरा संख्या 254 की डीएलसी दर [illegible]यत (सड़क के पास) 64950 रूपये प्रति बीघा है। सलंग्न नक्शा मौका फर्द का अभिन्न है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाई गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़ सुन समझ कर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खान मोहमद, जुमा खान, सरीफ पिता सादक कौम मुसलमान, सा0देह खातेदार रहन– खान मोहम्मद सरीफ का हिस्सा एसबीआई शाखा सेड़वा	254	11.3069 है.	20	0.2000 है.	भंवार	64950/–	बा.दो.

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा इस अधिनियम में इस नियम 70(1) में स्पष्ट है कि यदि पक्षकार प्रतिकर (मुआवजे) की राशि पर परस्पर रूप में सहमत हो जाते हैं, तो उपखण्ड अधिकारी परस्पर हुए करार(एग्रीमेण्ट) के अनुसार प्रतिकर की राशि अवधारित करेगा। हस्तगत प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से विप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा नए रास्ते में समाविष्ट भूमि अपने हिस्से में से बिना कोई प्रतिकर (निःशुल्क) देने की लिखित सहमति प्रकट की है।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010(दिनांक 18.01.2012 से प्रभावी) को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में संबंधित पक्षकारान् [illegible] बिना प्रति कर निः–शुल्क दिए

सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:39:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

का आदेश दिया जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते की भूमि अपने ...से में से निशुल्क देने से प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि राजकोष में अदा नहीं करनी होगी। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़ी भूमि के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
2. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरो में से कम करते हुए उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 26/11/2024 को खुले न्यायालय में संबंधित अधिवक्ताओं की उपस्थिति में निर्णय सुनाया गया। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:39:59 IST
Reason: SelfAttested

महोदयजी,

निवेदन प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार हैं :–